संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

–:: आदेश ::–

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–6 / व.प्र.से.वेतन / 2021 / 337 भोपाल, दिनांक 26 / 02 / 2021

मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संशोधित आदेश क्रमांक एफ 14–01 / 2015 / सत्रह / मेडि–1 दिनांक 16.03.2016 द्वारा विभाग के अधीन कार्यरत ऐसे समस्त अधिकारी जिनकी मूल नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी, उन्हें 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के उपरांत अन्य शासकीय अधिकारियों की भांति वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400–67000+ग्रेड–पे 8700/–दिया जावे एवं यह व्यवस्था दिनांक 01.07.2014 से प्रभावशील करने के निर्देश दिये जाकर चिकित्सा अधिकारी संवर्ग की पद संख्या के 02 प्रतिशत की सीमा को शिथिल किया गया है।

शासन के उक्त आदेश के परिपालन में वर्ष 1987 एवं 1988 में नियमित किये गये चिकित्सा अधिकारियों / विशेषज्ञों एवं डी.एच.ओ. संवर्ग के अधिकारियों जिनकी मूल नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी उन्हें 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के उपरांत उनके नाम के सम्मुख कॉलम **क्रमांक–05** में दर्शाई तिथि से चार स्तरीय वेतनमान के अंतर्गत वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400–67000+ग्रेड–पे 8700 एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :–

क्रं.	चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञों एवं डी.एच.ओ. संवर्ग के अधिकारियों का नाम	पदक्रम सूची का वर्ष 2008 एवं क्रमांक	लो.से.आ.का चयन वर्ष एवं क्रमांक/ नियमितिकरण वर्ष	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400–67000+8700 ग्रेड पे दिये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DR. A.K. JAIN	595	10-06-1987	11-06-2017
2.	DR. PRASHANT MISHRA	660	22-06-1987	23-06-2017
3.	DR. U.S. PANDEY	715	10-06-1987	11-06-2017
4.	DR. C.M. GEDAM	952	10-06-1987	11-06-2017
5.	DR. N.S.K. BELIA	1008	10-06-1987	11-06-2017
6.	DR. H.N. SAHU	1086	10-06-1987	11-06-2017
7.	DR. VINAY KUMAR DUBE	1343	22-06-1987	23-06-2017
8.	DR. SMT. TANUJA SAXENA	1374	22-06-1987	23-06-2017

02/ जिन चिकित्सा अधिकारियों / विशेषज्ञों एवं डी.एच.ओ. संवर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, का वेतन निर्धारित मूलभूत नियम के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।

03/ जिन चिकित्सा अधिकारियों / विशेषज्ञों एवं डी.एच.ओ. संवर्ग के अधिकारियों को इस आदेश के तहत वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400–67000+ग्रेड–पे 8700/– स्वीकृत किया जा रहा है उनका वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के तहत संबंधित चिकित्सक / विशेषज्ञ की सेवा पुस्तिका / सेवा अभिलेखों से पुष्टि / कार्यवाही कर ली जाए :–

(1) चिकित्सा अधिकारियों / विशेषज्ञों एवं डी.एच.ओ. संवर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान जिस दिनांक से स्वीकृत किया गया है। उस दिनांक से यदि सेवा में कोई अवधि डाईजनॉन की गई हो तो उनकी वरिष्ठ प्रवर श्रेणी की पात्रता को स्थगित रखते हुये संचालनालय से यथास्थिति मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

26/2/21

(2) यदि वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञों एवं डी.एच.ओ. संवर्ग के अधिकारियों को उसे वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने के दिनांक के पूर्व की सेवा किसी कालावधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय/राज्य शासन द्वारा किया जाना बाकी हो तो वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति कालावधि के निराकरण के बाद ही दिया जाये।

(3) यदि वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञों एवं डी.एच.ओ. संवर्ग के अधिकारियों के विरूद्व विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण अथवा अन्य कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में हो तो वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्थगित रखते हुये तत्काल मुख्यालय को तथ्यात्मक जानकरी के साथ अवगत कराया जावे, जिससे नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

(4) चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञों एवं डी.एच.ओ. संवर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित अधिकारी की सेवायें, उसकी संवर्ग में नियुक्ति की तिथि से, मूलभूत नियम के सहायक नियम 37 अनुसार, कार्यालयीन अभिलखों से सत्यापित हो। सेवाओं के सत्यापन की अवधि में सेवा अवरोध की स्थिति में वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ स्वीकृत नही किया जाये तथा ऐसे प्रकरण पूर्ण विवरण के साथ आवश्यक निर्णय के लिये इस कार्यालय को उपलब्ध करवायें।

<u>आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।</u>

26/2/21

(स्वपना एम लोवंशी)
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश

पृ.क्रं./1–जी/विज्ञप्त/सेल–6/व.प्र.से.वेतन/2021/338 भोपाल, दिनांक 26/02/2021
<u>प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–</u>

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गैस राहत विभाग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)।
5. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
7. संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान, सिटी सेन्टर, ग्वालियर।
8. संचालक, गैस राहत, कमला नेहरू चिकित्सालय, भोपाल।
9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश भोपाल।
10. अपर संचालक (वित्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
11. उप संचालक (विज्ञप्त)/कार्या.स्थापना/गोपनीय/लीगल, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
12. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
13. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
14. समस्त संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।
16. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्य प्रदेश ।

17. समस्त प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य प्रदेश।
18. समस्त अधीक्षक, सामान्य चिकित्सालय, मध्य प्रदेश।
19. समस्त अधीक्षक, क्षय चिकित्सालय, मध्य प्रदेश।
20. संचालक, मानसिक चिकित्सालय, ग्वालियर/इन्दौर, मध्य प्रदेश।
21. अधीक्षक, पुलिस चिकित्सालय/पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/केन्द्रीय एवं जिला जेल, मध्य प्रदेश।
22. समस्त कमाण्डेट, विशेष सशस्त्र बल, मध्य प्रदेश।
23. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
24. समस्त संबंधित चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञों एवं डी.एच.ओ. संवर्ग के अधिकारियों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
25. प्रभारी, एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में
26. आदेश नस्ती।

26/2/21

अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश